



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012026-269543
CG-DL-E-23012026-269543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2026/पौष 30, 1947

No. 284]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2026/PAUSA 30, 1947

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2026

का.आ. 312(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, उत्तराखण्ड राज्य में पिथौरागढ़ के NH109K के कि.मी 98.500 से कि.मी 213.800 तक के पेंड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH109K पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH109K के कि.मी 98.5 से कि.मी 213.8 तक	उत्तराखण्ड	पिथौरागढ़	धारचूला	1 थाम 2 दुतीबगड़

[फा. सं. RO/UK/Bharatmala/01]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2026

S.O. 312(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 98.500 to km. 213.800 of Pithoragarh (NH-109K) in the State of UTTARAKHAND.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-109K in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	ADM Pithoragarh	NH109K KM 98.5 TO KM 213.8	UTTARAKHAND	PITHORAGARH	Dharchula	1 Tham 2 Dutibagad

[F. No. RO/UK/Bharatmala/01]
SAIKH AMINKHAN, Director